भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
माखुपुरा औद्वयोगिक क्षेत्र
ro.ajmer@ibm.gov.in

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Regional Office, Ajmer
Makhupura Industrial Area
0145-2695202/2695165

संख्या:ई-10716/ई-11017/1/2024/अजम-आईबीएम-आरओ-अजम दिनांक /10/2026

सेवामें,

राजभाषा अधिकारी,
भारतीय खान ब्यूरो
इन्दिरा भवन, सिविल लाईन्स
नागपुर – 440001

विषय :विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 05/10/2026 के कार्यवृत्त व अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 05/10/2026 को सांयकालीन 04.00 बजे श्री चन्द्रेश बोहरा, क्षेत्रीय खान नियंत्रक एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एंव कर्मचारी उपस्थित हुए जिनका ब्यौरा अग्रलिखित प्रकार से है-

क्रम संख्या	अधिकारी व कर्मचारी का नाम	पद
1.	श्री चन्द्रेश बोहरा	क्षेत्रीय खान नियंत्रक, अध्यक्ष
2.	श्री दिलीप जैन	क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी व हिंदी सम्पर्क अधिकारी, सदस्य सचिव
3.	श्री मिथिलेश पुरोहित	उप खान नियंत्रक, सदस्य
4.	श्री अभिमन्यु सिंह ओगरा	वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक, सदस्य
5.	श्री अनवर अहमद	निजी सचिव, सदस्य
6.	सुश्री नेहा नरवल	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, सदस्य

1. बैठक के प्रारंभ में सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया।
2. समिति द्वारा पिछली बैठक के कार्यवृत्त की मदवार समीक्षा की गई तथा सर्वसम्मति से उसकी पुष्टि की गई।
3. बैठक में द्वितीय तिमाही की हिंदी प्रगति रिपोर्ट हेतु संकलित आंकड़ों पर विचार-विमर्श किया गया।
4. बैठक में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के विभिन्न बिंदुओं को पढ़कर सुनाया गया तथा उन पर चर्चा की गई।

5. अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यालय की हिंदी गृह पत्रिका के प्रकाशन कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई तथा इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई।
6. सदस्य सचिव द्वारा सभी सदस्यों को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि इस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों, जैसे—संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, निविदा सूचनाएं, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा-पत्र, ज्ञापन तथा संसदीय प्रश्नों के उत्तर आदि को कार्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में कार्यालय में उक्त प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

अन्त में सदस्य सचिव द्वारा सभी सदस्यो को धन्यवाद देने के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

भवदीय

Digitally signed by Chandresh Bohra
Date: 04-11-2026 12:21:32

(चन्द्रेश बोहरा)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
क्षेत्रीय कार्यालय,
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ: 1. उप निदेशक (कार्यान्वयन) उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-I (दिल्ली)
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, तृतीय तल, त्रिकुट-2, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम,
नई दिल्ली-110066
2. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर।
3. नगर राजभाषा कार्यांवयन समिति, अजमेर।